

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 410]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2011—भाद्र 11, शक 1933

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2011

क्र. बी-11-7-2011-चौदह-2.—विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 में समसंख्यक पत्र दिनांक 27-7-2011 द्वारा संशोधन किया गया था. उक्त दोनों अधिसूचनाओं में पुनः निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1. जारी अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 के परिशिष्ट 2 पृष्ठ 600(19), तहसील डबरा, पृष्ठ 600(20), तहसील भितरवार एवं पृष्ठ 600(21), तहसील चिन्नौर के कालम 3, 5, एवं 7 में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

परिशिष्ट 2 के पृष्ठ 600 ( 19 ), तहसील डबरा, जिला ग्वालियर

फसल	सामान्य आवरण प्रति हेक्टर (श्रेस होल्ड उपज के मूल्य तक) बीमित राशि (रुपये)	अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टर (श्रेस होल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150 प्रतिशत के मूल्य तक) बीमित राशि (रुपये)	प्रति हेक्टर बीमित राशि की सीमा (रुपये)
(1)	(3)	(5)	(7)
बाजरा	7160	8184	15344
सोयाबीन	14935	17068	32003
धान	14609	16696	31305
तिल	9671	11052	20723
ज्वार	6460	7383	13843

## परिशिष्ट 2 के पृष्ठ 600 ( 20 ), तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर

फसल	सामान्य आवरण प्रति हेक्टर (श्रेस होल्ड उपज के मूल्य तक) बीमित राशि (रुपये)	अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टर (श्रेस होल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150 प्रतिशत के मूल्य तक) बीमित राशि (रुपये)	प्रति हेक्टर बीमित राशि की सीमा (रुपये)
(1)	(3)	(5)	(7)
बाजरा	7160	8184	15344
सोयाबीन	12552	14344	26896
धान	19974	22827	42801
तिल	9671	11052	20723
ज्वार	7042	8047	15089

## परिशिष्ट 2 के पृष्ठ 600 ( 21 ), तहसील चिन्नौर, जिला ग्वालियर

फसल	सामान्य आवरण प्रति हेक्टर (श्रेस होल्ड उपज के मूल्य तक) बीमित राशि (रुपये)	अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टर (श्रेस होल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150 प्रतिशत के मूल्य तक) बीमित राशि (रुपये)	प्रति हेक्टर बीमित राशि की सीमा (रुपये)
(1)	(3)	(5)	(7)
बाजरा	7160	8184	15344
सोयाबीन	7423	8483	15906
धान	19974	22827	42801
तिल	9671	11052	20723
ज्वार	7042	8047	15089

2. दिनांक 27 जुलाई 2011 को जारी संशोधित अधिसूचना में बाजरा फसल के कॉलम नं. 5 में 8148 के स्थान पर 8184 पढ़ा जावे.

विजय पंडित, उपसचिव.